न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2023/62

नन्दलाल आत्मज भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज नौल्या जाति माली मृतक जर्ये कायम मुकामनः–
   1/1. रामप्रसाद आत्मज रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास
   1/2. नन्द कुंवरी पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास
      1/2/1. बद्रीलाल आत्मज कजोडीलाल जाति माली निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा(राज0)।
   1/3. औंकारी पत्नी रामचन्द्र जाति माली निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)। मृतक(नाम तर्क किया गया)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रघुवीर सिंह राठौड़– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2/1

निर्णय **दिनांक 01.08.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 117/2022 मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 13.11.2003 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2003 के विरूद्ध अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी.पी.सी. बाबत् निरस्त किये जाने एकतरफा डिक्री प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.02.2023 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

3. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 08.02.2023 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे।

4. अपीलांट की ओर प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2, 1/2/1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलांट की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 की मृत्यु होना बताकर उसका नाम डिलीट किये जाने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को दिलाई गई तथा रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई। न्यायहित में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 का नाम डिलीट किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश दिनांक 08.02.2023 विधि एवं न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 19.11.

1996 को सम्मन तामील होना मानकर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिकी जारी कर दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सम्मन कभी प्राप्त नही हुआ। जो ही सम्मन प्राप्त हुआ सम्पूर्ण जानकारी कर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण पर बिना अवलोकन किये बिना ही प्रार्थना–पत्र एवं अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने सर्वप्रथम दिनांक 13.01.2023 को जमीन नापने के लिये मौके पर हल्का पटवारी के पहुंचने पर जानकारी हुई कि प्रार्थना–पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देने के उपरान्त भी प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलांट सद्भाविक काश्तकार पेशा व्यक्ति है, रेस्पोडेन्ट को हुई क्षति की पूर्ति अपीलांट करने को तत्पर एवं तैयार है। उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2, 1/2/1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद सन् 1992 को पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में स्वयं नन्दलाल के हस्ताक्षर है। आदेश 20 नियम 5 की पूरी पालना हुई है। दूसरा सम्मन दिनांक 06.10.1995 को जारी हुआ इसमें भी स्वयं नंदलाल के हस्ताक्षर है। इस वाद की अपील न्यायालय हाजा में की गई। दिनांक 07.01.2004 की न्यायालय हाजा की आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलांट को पुनः सूचना हो गई है। माननीय राजस्व मण्डल में भी दिनांक 26.08.2022 को तामील मानी गई। अतः में मियाद अधिनियम से गंभीर रूप से बाधित है । जानकारी होना कैसे नहीं पता? इनका उद्देश्य न्यायिक प्रकिया में विलम्ब करना है। प्राथमिक डिकी में इनका क्या अधिकार प्रभावित हुआ?, इसका कोई कारण इन्होने नहीं बताया हैं। प्राथमिक डिकी में इनका निहित 1/3 हिस्सा ही निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिकी विधिवत् रूप से पारित की गई है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रकरण को विलम्ब करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किया गया है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद सन् 1992 को संस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.01.1996 में प्रतिवादी संख्या 4 से 8 को सूचना होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार रहा है। अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की सूचना हो गई थी, अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 को अधीनस्थ न्यायालय में जारी सम्मन नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सम्मन नोटिस दिनांक 07.05.1992 को जारी किया गया। उक्त सम्मन नोटिस के पृष्ठ भाग पर अंकित है कि, " एक नोटिस नन्दलाल को दिया" तथा इसके नीचे नन्दलाल के हस्ताक्षर व दिनांक 16.06.1992 अंकित है। साथ ही उक्त सम्मन नोटिस बाद तामील की रिपोर्ट के साथ कार्यालय तहसील सांगोद द्वारा कमांक/जमा0/92/189 दिनांक 20.06.1992 से बाद तामील स्वीकार किया जाकर वापस उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी को प्रेषित किया जाना अंकित है। तथा तहसीलदार सांगोद जिला कोटा(राज0) की मुहर व उसके ऊपर हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 की विधिवत् रूप से तामील हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के संबंध में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 को पूरी जानकारी थी। फिर भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.11.2003 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2003 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी.पी. सी. अपीलांट प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2023 को निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.02.2023 में अंकित किया है कि " प्रार्थी को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में भी दिनांक 07.01.2004 को रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई है इसके पश्चात न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में भी दिनांक 26.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से तामील होना अंकित किया गया है उक्त दस्तावेजों की प्रतियॉ भी जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है जिसमें प्रार्थी द्वारा चाही गई अवधि का डिले कंडोन किया जाना न्यायोचित नहीं है व

प्रार्थना–पत्र बाबत डिले कंडोन काबिल खारिज है।" पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2003 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन रही है। न्यायालय हाजा ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में दिनांक 05.10.2006 को निर्णय पारित किया। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.10.2006 की अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाधीन रही है। न्यायालय हाजा व माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहीं अपीलों मे भी अपीलांट को जानकारी थी, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट को प्रकरण की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट जानबूझकर अथवा लापरवाही के कारण न्यायालयों में उपस्थित नहीं हुए। निर्णय दिनांक 13.11.2003 के विरूद्ध सन् 2023 में आदेश 9 नियम 7 व नियम 13 का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया तथा इसे खारिज किया जिससे हम सहमत है। हमारे मत में अपीलांट प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे वाद की समुचित जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 व नियम 13 गंभीर रूप से अवधि बाधित था। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.2023 से सहमत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 117/2022 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 08.02.2023 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 01.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा